न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 64 /2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रामचंद्र पुत्र शंकरलाल जाति बावरी निवासी साण्डिया, तह0 सोजत 2 इन्द्रा देवी पत्नि जगदीश 3 सुरेन्द्र पुत्र जगदीश 4 ललित पुत्र जगदीश 5 चंचल पुत्री जगदीश प्रार्थी संख्या 4 से 5 नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता प्रार्थी सं0 2 इन्द्रा देवी 6 विमला पुत्री जगदीश 7 आरती पुत्री जगदीश जाति बावरी निवासीगण साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली। 8 शान्ति पत्नि चौथाराम 9 निर्मल कुमार पुत्र चौथाराम जातियान सरगरा नि0 साण्डिया तह0 सोजत जिला पाली।		1 गिरधारीलाल पुत्र घीसाराम जाति देवासी नि0 साण्डिया, तह0 सोजत, जिला पाली, (राज0) 2 भंवरलाल पुत्र गोपाराम 3 कानाराम पुत्र गोपाराम जाति सरगरा, नि0 साण्डिया, तह0 सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री सुरेन्द्र वैष्णव, श्री कल्याणनाथ, श्री संदीपसिंह कविराज, श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा अधि0 अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 25.03.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा साण्डिया, तहसील सोजत में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1762, 1854 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 1847, 1848, 1851 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नंबर 1847, 1848, 1851 में आने—जाने अर्थात् आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1762, 1854 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 मय शपथ—पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

ग्राम साण्डिया, प0ह0 साण्डिया, तह0 सोजत, जिला पाली राज0 के अप्रार्थीगण की कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 1762, 1854 में से 20 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, जिसे मार्क ए से बी दर्शाया है। रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थीगण की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 1847, 1848, 1851 तक आने–जाने अर्थात् आवागमन रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से श्री सुरेन्द्र वैष्णव, श्री कल्याणनाथ, श्री संदीपसिंह कविराज एवं महावीर प्रसाद मेवाड़ा अधिवक्तागण ने दिनांक 27.08.2019 को वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। दिनांक 27.08.2019 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा वकालतनामा पेश करने के बाद वास्ते जबाब अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी आज तक जबाब पेश करने में विफल रहने से आज दिनांक 25.03.2021 को अवसर समाप्त किया जाकर जबाब बन्द किया गया। दिनांक 19.08.2020 को आदेशित कर तहसीलदार, सोजत से प्रार्थित रास्ते, उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ते तथा सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन किया गया है अथवा अथवा अत्यांतिक आवश्यकता है, के सम्बन्ध में बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। पटवारी साण्डिया भू0अ0 निरीक्षक चण्डावल मय तहसीलदार, सोजत द्वारा दिनांक 15.10.2020 को प्रस्तुत वस्तुस्थिति सा0मि0 की गई।

तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि दिनांक 14.09.2020 को न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण 64/2019 में वादी रामचन्द्र पुत्र शंकरलाल वगेरह एवं प्रतिवादी गिरधारीलाल पुत्र घीसाराम वगेरह में ग्राम साण्डिया में ख0न0 प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1847, 1848, 1851 में आवागमन हेतु रास्ता मय मौतबिरान रूबरू मौके पर पहुँचे। खसरा नंबर 1847, 1848, 1851 में वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में आने जाने हेतु ख0न0 1762, 1854 से रास्ता चाहा है। उक्त खसरो में आवागमन हेतु नजदीकी खसरा नंबर 1762 में से रकबा 0.0080 है0 (4 X 20) ख0न0 1854 में से रकबा 0.0400 हैक्टर (4 X 100) ख0न0 1851 में से 0.0272 है0 (4 X 68) एवं ख0न0 1848 में से रकबा 0.0192 हैक्टर (4 X 48) से भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित का कुल रकबा 0.0944 है0 बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 150579/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार 0.0944 है0 की कुल राशि 14215/– रूपये होते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा संलग्न उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 1762, 1854 से मौका

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न पत्रावली है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा संख्या 1847, 1848, 1851 में आवागमन हेतु 20 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी के खसरा संख्या 1762, 1854 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1851 व 1848 में भी रास्ता प्रस्तावित किया है, जबकि इन खसरान के खातेदारान प्रार्थीगण संख्या 08 व 09 स्वयं है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र खसरा नम्बर 1762 व 1854 मे से माठ के सहारे राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने आपति व्यक्त करते हुए अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता नही दिया जा सकता है। चूकि मौके पर आवागमन हेतु रास्ता पगडंडी के रूप में उपलब्ध है इसलिए 20 फुट चौडा रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात तथा मौका रिर्पोट , नजरी नक्शा आदि का गहनता से अध्ययन कर उभयपक्षों की बहय वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चण्डावल, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 1762, 1854 में से होकर पाया जाता है। तहसीलदार सोजत द्वारा मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1762, 1854, 1851 व 1848 में सें खसरा नम्बर 1847 में जाने हेतु नजरी नक्शा में मार्क ए से बी रास्ता दर्शाया है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 1762 व 1854 मे से ही खसरा नम्बर 1851, 1848 व 1847 में आने जाने हेतु रास्ता आवेदित किया है। खसरा नम्बर 1851 1848 की भूमि प्रार्थीगण संख्या 8 व 9 स्वयं की खातेदारी की होने से मौका रिर्पोट में गलत इंगित किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार खसरा नम्बर 1762 व 1848 से सम्बद्ध खातेदारों की कमशः 0.0080 एवं 0.0400 की रास्ते में जाने वाली भूमि 0.0480 की वर्तमान डी0एल0सी0 दर 150579 प्रति हैक्टर से 0.0480 * 1.50579 की दो गुणा =, राशि 14456/- देय भूमि प्रतिकर भुगतान करवाकर रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा साण्डिया, पटवार हल्का साण्डिया, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 1847 रकबा 3.2000 है0, 1848 रकबा 0.2800 है0, 1851 रकबा 0.3900 हैक्टर किस्म बारानी बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थीगण की ख0न0 1762, 1854 की निम्नांकित कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 1762 में से रकबा 0.0080 हैक्टर (4 X 20 वर्गमी0) ख0न0 1854 में से रकबा 0.0400 हैक्टर (4 X 100 वर्गमी0) कुल रकबा 0.0480 हैक्टर की दोगुणा 14456/-रूपये प्रति हैक्टर 150579/-रू0 उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सेनुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैः—

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	1762 बा0अ0	1.2800	गिरधारी पुत्र घीसाराम, कौम राईका, सा0 देह खातेदार।	0.0080 (4 X 20)	2409
2	1854 बा0अ0	1.1700	भंवरलाल 1/2,	0.0400 (4 X 100)	6023
			कानाराम 1/2 पि0 गोपाराम कौम सरगरा, सा0 देह खातेदार।		6024
			योगः—	0.0480 है0	14456/-

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner